ईमेल–cfoalm.ukfs@gmail.com.

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद अल्मोडा।

पत्रांकः सीएफओ / एन / पीटीएच / 2024–25(106) दिनांकः सितम्बर 09 ,2025।

सेवा में,

स्वामी / प्रबंधक
राजकीय इण्टर कालेज
बुलवाकोट, पिथौरागढ़।

विषयः अग्निशमन सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance (नवीनीकरण) के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यू0आई0सी0 नम्बर–82999323, दिनांक 26.08.2025 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर आवेदक राजकीय इण्टर कालेज बुलवाकोट पिथौरागढ़, का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा कराया गया, निरीक्षण आख्या दिनांक 07–09–2025 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एबीसी 04 कि0ग्रा0 04 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर बकेट 04 अदद एवं 10000 लीटर क्षमता का भूमिगत व दो हजार लीटर क्षमता का ओवर रिजर्व वाटर टैंक स्थापित हैं। अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अग्निशमन जोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। इकाई के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रुपये प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर की दर से) टेस्टिंग शुल्क फायर सर्विस हैड– '0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 60 अन्य सेवायें, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण' के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा तथा अनिवार्य रूप से अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जायेगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व. घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानकों के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन पिथौरागढ़ की निरीक्षण आख्या के अनुसार विद्यालय का (भूतल में 22 कमरे एवं प्रथम तल में 03 कमरों हेतु) दिनांक 09 सितम्बर 2025 से 08 सितम्बर 2028 तक प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण निम्न शर्तों के आधार पर किया जाता है :–

7. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़िया प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
8. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्कमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
9. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
10. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, बेटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
12. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।

10/09/25
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल